



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230776  
CG-DL-E-27102021-230776

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]  
No. 621]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सं. 86/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 769(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 में आगे संशोधन करने के लिए विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (निकासी), संशोधन, विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

2. कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 में,-

(1) विनियम 10 में, उप-विनियमों (2) और (3) का लोप किया जाएगा;

(2) विनियम 10 के बाद निम्नलिखित विनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10क पंजीकरण की वापसी- (1) अधिकृत कूरियर लिखित आवेदन के माध्यम से प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क जिसने पंजीकरण प्रदान किया है, जैसा भी मामला हो, को पंजीकरण वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि,-

- (क) प्राधिकृत कूरियर ने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत केंद्र सरकार को देय सभी देय राशि का भुगतान किया है; और
- (ख) अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत अधिकृत कूरियर के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

**10ख. पंजीकरण की वैधता.-** (1) एक पंजीकरण तब तक वैध होगा जब तक कि इन विनियमों के तहत रद्द न किया जाए।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अधिकृत कूरियर एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता है, तो पंजीकरण एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पहले दिन से अवैध माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'निष्क्रिय' अभिव्यक्ति एक ऐसे अधिकृत कूरियर को संदर्भित करता है जिसने एक वर्ष की निरंतर अवधि के दौरान सीमाशुल्क से संबंधित किसी भी व्यवसाय का लेनदेन न किया हो, उस अवधि को छोड़कर जिसके लिए विनियमन 14 के तहत पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है और इस कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन, विनियम, 2021 के लागू होने की तारीख से पहली बार एक वर्ष की निरंतर अवधि की गणना की जाएगी।

(3) डीम्ड इनवैलिडेशन के पहले दिन से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, अधिकृत कूरियर पंद्रह हजार रुपये के शुल्क के साथ फॉर्म क1 में, प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जिन्होंने पंजीकरण प्रदान किया है, जैसा भी मामला हो, को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन जमा कर सकता है

(4) विनियम 10 के अधीन और एक महीने के भीतर फॉर्म क1 में आवेदन की प्राप्ति के साथ पंद्रह हजार रुपये के शुल्क के साथ प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वह इस बात से संतुष्ट होते हुए कि अधिकृत कूरियर का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, जिसमें कदाचार की कोई शिकायत नहीं है, जिसमें विनियम 13 में निर्दिष्ट किसी भी दायित्व का अनुपालन में कोई भी चूक शामिल न हो और विनियम 10 के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदक अन्यथा पात्र है, पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं;"

(3) फॉर्म क के बाद, निम्नलिखित फॉर्म को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"फॉर्म – क1"**

**[विनियम 10ख देखें]**

सेवा में

प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क,

.....(पता)

**विषय :** कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 के तहत अधिकृत कूरियर के अमान्य पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 के तहत एक वर्ष से अधिक की निष्क्रियता के कारण अमान्य हो गया है, अर्थात् :-

1. अधिकृत कूरियर का नाम और पूरा पता:
2. सीमाशुल्क स्टेशन का नाम जहां पंजीकृत है:
3. पंजीकरण संख्या और तिथि:

(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)

4. अमान्यकरण की तिथि:
5. पंजीकरण की वैधता के दौरान अधिकृत कूरियर के रूप में स्वीकृत माल की मात्रा और मूल्य:
6. क्या आवेदक ने सीमाशुल्क अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को देय सभी देय राशि का भुगतान किया है? (हाँ/नहीं)
7. क्या विनियम 11 और 12 के तहत निष्पादित बाण्ड और प्रतिभूति अभी भी वैध हैं? (हां/नहीं):
8. क्या प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, कंपनी के निदेशकों या अन्य श्रेणी के मामले में प्रभारी व्यक्तियों के नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) में कोई बदलाव है, जैसा भी मामला हो? (हाँ/नहीं):
9. यदि हां, तो उसका विवरण:
10. क्या पंजीकरण आवेदन (फॉर्म-1) के साथ पहले जमा किए गए किसी अन्य विवरण में कोई बदलाव हुआ है? (हाँ/नहीं):
11. यदि हां, तो उसका विवरण:
12. नवीनीकरण का कारण:
13. क्या आवेदक या उसके द्वारा नियोजित या नियोजित होने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के तहत दण्डित किया गया है, दोषी ठहराया गया है या मुकदमा चलाया गया है? (हां/नहीं):
14. यदि हां, तो उसका विवरण:
15. घोषणा:

मैं/हम निम्नलिखित घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं, अर्थात् :-

- I. मैं/हम घोषणा करते हैं कि यहां दिए गए सभी विवरण सत्य और सही हैं।
- II. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 पढ़ लिया/पढ़ लिये हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।
- III. मैं/हम उपरोक्त आवेदन में प्रदान की गई जानकारी के संबंध में किसी भी परिवर्तन को तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचित करने का वचन देते हैं।

आवेदक (आवेदकों) या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

संलग्नक: पंजीकरण की प्रति

दिनांक: .....

स्थान: .....

[फा. सं. 451/22/2020-सीमाशुल्क V]

कोमिला पुनिया, उप सचिव

**टिप्पणी:** मुख्य अधिसूचना संख्या 87/98-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 नवम्बर, 1998 को सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1998 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 73/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 763(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2021

**No. 86/2021-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 769(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance), Amendment, Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998,—

(1) in regulation 10, sub-regulations (2) and (3) shall be omitted;

(2) after regulation 10, the following regulations shall be inserted, namely:—

**“10A. Surrender of registration.**—(1) An Authorised Courier may surrender the registration through an application in writing to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs who has granted the registration, as the case may be.

(2) On receipt of the application under sub-regulation (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may revoke the registration if,—

(a) the Authorised Courier has paid all dues payable to the Central Government under the Act and the rules or regulations made thereunder; and

(b) no proceedings are pending against the Authorised Courier under the Act or the rules or regulations made thereunder.

**10B. Validity of registration.**—(1) A registration shall be valid unless and until revoked under these regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in sub regulation (1), where an Authorised Courier is found to be inactive for a period of one year, the registration shall be deemed to be invalid from the first day after expiry of the said period of one year.

**Explanation:** - For the purposes of this regulation the expression ‘inactive’ refers to an Authorised Courier who does not transact any business pertaining to Customs during a continuous period of one year excluding the period for which the registration has been suspended under regulation 14 and the continuous period of one year shall be computed for the first time with effect from the date of coming into force of the Courier Imports and Exports (Clearance), Amendment, Regulations, 2021.

(3) Within a period of ninety days from the first day of deemed invalidation, the Authorised Courier may submit an application in Form -A1 along with fee of fifteen thousand rupees, to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs who has granted the registration, as the case may be, for renewal of the registration.

(4) Subject to regulation 10 and within one month of receipt of the application in Form- A1 along with fee of fifteen thousand rupees, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may renew the registration after satisfying himself that the performance of the Authorised Courier has been satisfactory with reference to the absence of any complaints of misconduct including non-compliance of any of the obligations specified in regulation 13 and the applicant is otherwise eligible for grant of registration under regulation 10.”;

(3) after Form A, the following form shall be inserted, namely:—

**"FORM – A1**

[see regulation 10B]

To

The Principal Commissioner/Commissioner of Customs,

..... (Address)

**Subject:** Application for renewal of deemed invalidated registration of Authorised Courier under the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998.

Sir/Madam,

I/We, the undersigned hereby submit the following details for renewal of registration, which has been invalidated due to inactivity of more than 1 year, under the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998 namely:—

1. Name and complete address of the Authorised Courier:
2. Name of Customs station where registered:
3. Registration No. and date:  
(Enclose copy of registration)
4. Date of deemed invalidation:
5. Quantity and value of goods cleared as Authorised Courier during validity of registration:
6. Has the applicant paid all dues payable to the Central Government under the provisions of the Customs Act, rules or regulations made thereunder? (Yes/No):
7. Whether bond and security executed under regulations 11 and 12 are still valid? (Yes/No):
8. Is there a change in the name and Permanent Account Numbers (PAN) of Proprietor, Partners of the partnership firm, Directors of the Company or the persons in charge in case of other category, as the case may be? (Yes/No):
9. If Yes, details thereof:
10. Is there any change in any other particular(s) submitted previously with the registration application (Form-A)? (Yes/No):
11. If Yes, details thereof:
12. Reason for renewal:
13. Whether the applicant or any of the persons employed or proposed to be employed by him have been penalized, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other law for the time being in force? (Yes/No)
14. If Yes, details thereof:
15. Declaration:

I am/We are authorised to make the following declarations, namely:—

- (i) I/We declare that all particulars given herein are true and correct.
- (ii) I/We hereby affirm that I/we have read the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998 and agree to abide by them.
- (iii) I/We hereby undertake to intimate any change in respect of the information provided in the aforesaid application within a period of thirty days.

Signature and name of the applicant(s)  
or authorised signatory

Encl: Copy of registration

Date: .....

Place: ..... "

[F. No. 451/22/2020-Cus.V]

KOMILA PUNIA, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 87/98-Customs (N.T.), dated the 9th November, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 662(E), dated the 9th November, 1998 and was last amended *vide* notification No. 73/2019-Customs (N.T.), dated the 9th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 763(E), dated the 9th October, 2019.